न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 076/2024

1. पालाराम पुत्र गिरधारीराम जाति मेघवाल साकिन 33 एल एल डब्ल्यू गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

––प्रार्थी

–:बनाम:–

1. जसराम पुत्र बलवन्तराम | जाति छिम्पा साकिन गोलवाला सिहागान
2. राकेश पुत्र जसराम | तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
3. विनोदकुमार पुत्र जसराम | राजस्थान
4. जरिये शाखा प्रबन्धक एच डी एफ सी बैंक शाखा गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमागढ़ राजस्थान।

–– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क रा.का. अधि.

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री मदनलाल मेहरड़ा	–प्रार्थी
2. श्री हनुमान भादू	–अप्रार्थी सं. 1 ता 3
3. राजपैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा	–अप्राथी संख्या 5

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 23-12-2024

प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने हेतु। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण का सही पता प्रार्थना पत्र के शीर्षक में सही अंकित है।

यह कि वाके तहसील पीलीबंगा का चक 21 जे आर के की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2021) से स्थाई का खाता सं. 109/54 प.न. 39/253 मु.न. 31 कि.न. 1, 2, 9, 10 की कुल 1.0120 हैं. नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। अवलोकनार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है।

यह कि वाके तहसील पीलीबंगा का चक 20 जे आर के के की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2021) से स्थाई का खाता सं. 95/85 प.न. 39/252 मु.न. 27 कि.न. 13, 14, 15/1/0.2280, 15/2/0. 0250रास्ता, 16/1/0.2280, 16/2/0.0250रास्ता,, 17, 18, 23, 24, 25/1/0. 2280, 25/2/0.0250रास्ता, व प.न. 39/253 मु.न. 38 कि.न. 3, 4, 5/1/0. 5/2/0. [illegible] की कुल 3.0360 हैं. नहरी, मय गै. मु. रास्ता खातेदारी कृषि भूमि में से अप्रार्थी [illegible] 1 ता [illegible] के नाम 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। अवलोकनार्थ [illegible] जमाबन्दी पेश है। 4. यह कि प्रार्थी अपनी उक्त कृषि भूमि में कृषि कार्य हेतु [illegible] ट्रैक्टर ट्राली व बैल गाड़ी आदि व पैदल चल कर अप्रार्थी न. 1 ता 3 की उक्त कृषि भू[illegible] तहसील पीलीबंगा का चक 20 जे आर के का प.न. 39/253 मु.न. 38 कि.न. 3/0.0150, 4/0.0150, 5/0.0150 कुल 0.0450 है. में तीन बीघा लम्बा व सवा विस्बा चौड़ा रास्ता चालू है। जो इसी प.नं. 39 / 253 का कि.

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.01.23 10:35:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

नं. 3, 4, 5 के प्रत्येक बीघा में 1¼ – 1¼ बिस्वा चौड़ा जो मौका पर पूर्व–पश्चिम तीन बीघा लम्बा व उत्तर–दक्षिण 1¼ बिस्वा चौड़ा रास्ता चालू है। जिसमें से होकर प्रार्थी अपनी उक्त कृषि भूमि में काफी लम्बे समय से बतौर रास्ता आना जाना करता आ रहा है। जो प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि चक 21 जे आर के का प.न. 39/253 मु.न. 31 का कि.न. 2 में आकर मिलता हुआ चालू रास्ता है। जिसे प्रार्थी रास्ता स्वीकृत करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता है। एंव प्रार्थी श्री मान जी के आदेश अनुसार उक्त रास्ता स्वीकृत करवाने की एवज में भूमि के बदले अपनी कृषि भूमि में से चिपती हुई भूमि अप्रार्थीगण को ब. हिस्सा बराबर बराबर देने के लिये तैयार एंव सहमत है। इसके साथ ही श्री मान जी के अन्य आदेश की पालना के लिये भी प्रार्थी तैयार रहेगा।

यह कि अप्रार्थी न. 4 का नाम अप्रार्थी न. 1 ता 3 की उक्त कृषि भूमि के खाता में दर्ज होने से अप्रार्थी न. 4 को पक्षकार बनाया गया है। ताकि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में नुकस ना रहे।

यह कि तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को अप्रार्थी न. 5 भू–धारक होने से प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया है ताकि प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार का नुकस ना रहे।

यह कि प्रार्थना पत्र श्री मान जी के न्यायलय के क्षेत्राधिकार का है जो अन्दर मियाद व उचित कोर्ट फीस पर पेश है ।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से स्वीकार किया जावे।

(क) कि वाके तहसील पीलीबंगा का चक 20 जे आर के का प.न. 39/253 मु.न. 38 कि.न. 3/0.0150, 4/0.0150, 5/0.0150 कुल 0.0450 है. को रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।

(ख) कि उक्त कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा का चक 20 जे आर के का प.न. 39/253 मु.न. 38 कि.न. 3/0.0150, 4/0.0150, 5/0.0150 कुल 0.0450 है. में तीन बीघा लम्बा व सवा विस्बा चौड़ा रास्ता चालू है। जो इसी प.नं. 39/253 का कि. नं. 3, 4, 5 के प्रत्येक बीघा में 1¼ –1¼ विस्वा चौड़ा जो मौका पर पूर्व–पश्चिम तीन बीघा लम्बा व उत्तर–दक्षिण 1¼ बिस्वा चौड़ा रास्ता चालू है। को स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। श्री मान जी की अति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद सरिस्ता रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की ओर से श्री हनुमान भादू अधिवक्ता द्वारा हाजिर होकर वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया अप्रार्थी स. 1 ता 3 का जवाब प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से है

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा सं 01 को सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर है 2 यह की प्रार्थना पत्र की दफा 2 को सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर है यह की प्रार्थना पत्र की दफा 3 स्वीकार है यह की प्रार्थना पत्र की दफा 4 पूर्णतया अस्वीकार है क्योंकि प्रार्थी कभी भी अपनी कृषि भूमि में कार्य करने हेतु में अपने ट्रेकटर ट्राली व बेलगाडी आदि कभी भी पेदल चलकर मिन अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की उ[illegible] के चक 20 जेआरके के पत्थर नंबर 39/253 मुरबा नंबर 38 के किला नंबर [illegible] 5 क[illegible]ल 0.0450 हेक्टेयर में 3 बीघा लम्बा व सवा बिस्वा रास्ता चालू न[illegible] और न कभी [illegible] और इसी पत्थर न नम्बर के 39/253 के किला न 3, 4, 5 के [illegible]वा चोड़ा है जो मोका पर पूर्व–पश्चिम 3 बीघा लम्बा व उतर–दक्षिण में 1–1 बिस्वा च[illegible] रास्ता चालू बताया है जो प्रार्थना पत्र में जो की पूर्णतया अस्वीकार है क्योंकि मोका पर कोई भी रास्ता मिन अप्रार्थी स 1 ता 3 की कृषि भूमि 39/253 की किला न 3,4,5 में नहीं है प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में झूठे मनगढ़त कथन मिन अप्रार्थी स 1 ता 3 की कृषि भूमि में कभी भी रास्ता चालू नहीं था और न ही मिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.01.23 10:33:36 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

अप्रार्थी स 1 ता 3 की कृषि भूमि से प्रार्थी ने आना जाना किया है इसलिए प्रार्थना पत्र की मद स 4 पूर्णतया अस्वीकार है यह की प्रार्थना पत्र की मद सं 5 को सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर है प्रार्थना पत्र की मद सं 6 सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर है यह की प्रार्थना पात्र की मद स 7 में वर्णित कथन अस्वीकार है उक्त वर्णित दफा को साबित करने का भर प्रार्थी पर है प्रार्थी क ता ख अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है अत जवाब प्रर्थ पात्र पेश कर निवेदन है की उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी का प्रार्थना पात्र मय हर्जा खर्चा खारिज फ़रमाया जावे श्री मान जी की अति कृपा होगी

अतिरिक्त कथन

यह की अप्रार्थीगण 1 ता 3 कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 20 जेआरके के खता स 95/85 प.न. 39/253 के मु.न.27 के किला न. 13,14,15/1,15/2,16/1,16/2,17 ,18,23,24, 25/1,25/2 व प.न.39/253 म.न.38 के किला न.3,4,5/1,5/2 की कुल 3.036 हेक्टेयर है नहरी गैर मु. रास्ता दर्ज है जबकि प्रार्थी की कृषि भूमि जो की तहसील पीलीबंगा के चक 21 जेआरके के खता सं. 109/54 के प.न. 39/253 मु. न. 31 के किला न. 1,2, व9, 10की कुल 1.0120 हेक्टेयर कृषि भूमि है जबकि अप्रार्थीगण की कृषि भूमि 20 जेआरके मु.न.38 के किला न.3,4,5/1,5/2 में से प्रार्थी ने रास्ता की मांग की है जो की अनुचित है क्यों की प्रार्थी व अप्रार्थीगण की कृषि भूमि अलग–अलग चको वअलग अलग मुरब्बो में स्तिथ है इसलिए अगर अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में से रास्ता स्वीक्रत किया जाता है तो अप्रार्थी गण को कृषि भूमि का नुकसान होगा क्योंकि अप्रार्थीगण को 21जेआरके में बदले में कृषि भूमि मिलती है जो की 20 जेआरके व् 21 जेआर के जो की दोनों चक अलग अलग हो जायेगे जिस चक में प्रार्थी की कृषि भूमि है उसी चक में नजदीक लगते रस्ते से प्रार्थी को भूमि को रास्ता लेना चाहिए अलग अलग चको में कृषि भूमि स्थित्त होने के कारण अपरार्थीगण को कृषि भूमि का नुकसान करित हो सकता है क्योंकि वह भूमि अप्रार्थीगण को किसी भी कृषि कार्य में उपयोगी नहीं होगी इसलिए प्रार्थी को उसी चक में रास्ता दिया जाये जिस चक में प्रार्थी की कृषि भूमि स्थित है इसलिए अप्रार्थीगण को तंग व् परेशान करने की नियत से प्रार्थी नें प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है अतः जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है की प्रार्थी का पप्रार्थना पत्र खारिज फ़रमाया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से पत्रांक 605 दिनांक 01.08.2024 से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर चालू नहीं है। चाहे गये रास्ते की जगह पर कोई मकान टयूबवेल पेड़ नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते में आने वाली भूमि में सम्बन्धित खाते के समस्त काश्तकारान को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई स्वीकृत शुद्धा रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते से कम दूरी का अन्य रास्ता नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ताा सबसे नजदीक लगता है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य काई वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.01.23 10:33:56 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन किया गया। [illegible] अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया कि कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि भूमि के बदले भूमि प्रतिफल के रूप में दी जाती है तो अप्रार्थी को दूसरे चक में भूमि हो जायेगी इसलिए प्रार्थी को किला न. 6, 7, 8 से रास्ता चल रहा है वहीं से रास्ता दिया जावे।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि डीएलसी का दूगना प्रतिफल में देने के लिए सहमत है।

प्रकरण में हमारे द्वारा स्वयम् द्वारा मौका का निरीक्षण किया। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता कम दूरी का रास्ता है एवं प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई स्वीकृत शुद्धा रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते से कम दूरी का अन्य रास्ता नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ताा सबसे नजदीक लगता है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य काई वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता सुविधाजनक है एवं अत्यांत्कि श्रेणी का होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251–क के तहत स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। चक 20 जे आर के का प.न. 39/253 मु.न. 38 कि.नं. 3/0.0150, 4/0.0150, 5/0.0150 कुल 0.0450 हैक्ट. प्रत्येक बीघा में 1¼–1¼ बिस्वा चौड़ा पूर्व–पश्चिम तीन बीघा लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थी से रास्ता के प्रतिफल के रूप में डीएलसी की दुगना राशि खजाना राज में जमा करवाया जाकर आदेशों की पालना में तहसीलदार उक्तानुसार रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 23.12.24 सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.01.23 10:33:36 IST
Reason: SelfAttested